प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
15 दिसंबर, 2025

सीपीएसई पर अनुपालन लेखा परीक्षा (वाणिज्यिक) रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर वर्ष 2025 की रिपोर्ट संख्या 18 में, विभिन्न निगमों को नियंत्रित करने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएजी के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों और निगमों के खातों और अभिलेखों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप प्राप्त महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। यह रिपोर्ट आज संसद में प्रस्तुत की गई।

2. प्रतिवेदन में आठ मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 12 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित 10 व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और सात अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹5,048.20 करोड़ है।

3. प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

ऊर्जा समूह

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में नई कोयला वाशरियों के निर्माण की समीक्षा

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) वाशरियों के निर्माण के विभिन्न चरणों में निर्धारित समय-सारिणी का पालन करने में विफल रहा। वाशरी के पूरा होने में विलंब के कारण, संविदाकारों को ₹22.24 करोड़ के मुआवजे का भुगतान करना पड़ा। लेखापरीक्षा में पाथेरडीह-I वाशरी में बोगी ओपन बॉटम रैपिड (बीओबीआर) ट्रैक हॉपर प्रणाली के निर्माण के लिए अनुबंध देने में भी विसंगतियां पाई गईं, जिससे न केवल वाशरी क्षमता का कम उपयोग हुआ, बल्कि बीसीसीएल को ₹371.33 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने से भी वंचित होना पड़ा। लेखापरीक्षा में पर्यावरण स्वीकृति में निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट वाशरी अपशिष्टों का निपटान न करने के मामले पाए गए। इसके अलावा, दहीबाड़ी वाशरी का परिचालन शुरू होने के बाद भी, बीसीसीएल कच्चे कोयले की प्रतिबद्ध मात्रा की आपूर्ति करने में विफल रहा, जिसके कारण ₹36.18 करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ और ₹113.32 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर भी खो गया।

(पैरा 1.1)

कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और उसका शमनपर 2019 की रिपोर्ट संख्या 12 का अनुवर्तन

"कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों में खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और उसका शमन पर निष्पादन लेखापरीक्षा 2019 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अंतर्गत मुद्रित किया गया। यह लेखपरीक्षा, प्रतिवेदन में उजागर किये गये मुद्दों पर मंत्रालय/प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई की जांच करने के लिए की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रतिवेदन में रेखांकित कुछ मुद्दों का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया है या अभी तक उनका अनुपालन किया जाना शेष है। ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से निपटने के लिए आवश्यक प्रयासों के साथ-साथ खदानों में आग लगने की स्थिति में पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा पर्यावरणीय गतिविधियों की निगरानी से संबंधित हैं। वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों से संबंधित पूंजीगत कार्य, अभी भी प्रगति पर है। झरिया खदान योजना को स्वीकृति दिए जाने के 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, सतही अग्नि क्षेत्र 1.80 वर्ग किमी में मौजूद है, जो 27 स्थलों में फैला हुआ है। रानीगंज मास्टर प्लान के संबंध में, प्रभावित परिवारों का स्थानांतरण अभी तक नहीं किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सात सहायक कम्पनियों में सौर परियोजनाओं की वर्तमान स्थापित क्षमता, सौर परियोजनाओं की 3,000 मेगावाट की परिकल्पित क्षमता का केवल 4.08 प्रतिशत है।

(पैरा 1.2)

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में वन विनियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹8.70 **करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ**

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, कंपनी को पर्याप्त शमन उपायों के साथ गैर-वनीय प्रयोजन के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। हालाँकि, आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना, सीसीएल ने (जुलाई 2019) गांव की सड़क तक वन भूमि पर कोयले का परिवहन शुरू करने का फैसला किया। झारखंड के वन विभाग ने (अक्टूबर 2022) अतिक्रमण को नियमित करने और सड़क निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति की मांग उठाई और सीसीएल को ₹11.18 करोड़ का भुगतान करने को कहा, जिसमें से ₹8.70 करोड़ वन विनियमन के उल्लंघन के लिए जुर्माना था।

(पैरा 1.3)

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टाइम चार्टर पोतों का निष्क्रिय रहना और इसके परिणामस्वरूप ₹470.56 करोड़ का निष्फल व्यय

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों के तटीय परिवहन के लिए उपलब्ध भंडारण और अन्य बुनियादी सुविधाओं का आकलन किए बिना कंपनी की वास्तविक आवश्यकता से अधिक टाइम चार्टर्ड पोतों को किराए पर लिया। भंडारण और बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण की आवश्यकता का आकलन न करने में त्रुटिपूर्ण योजना और अपर्याप्त आपूर्ति और रसद योजना के परिणामस्वरूप बीपीसीएल द्वारा किराए पर लिए गए टाइम चार्टर्ड पोतों का कम उपयोग हुआ और 2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹470.56 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा 2.1)

ओएनजीसी द्वारा एमबीए बेसिन,कोलकाता में कार्यालय भवन का समय पर निर्माण न करने के कारण ₹39.47 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार

अक्टूबर 2006 में ₹9.80 करोड़ की लागत से भूमि अधिग्रहण करने के बावजूद ओएनजीसी के एमबीए बेसिन कोलकाता के लिए कार्यालय भवन का निर्माण 17 वर्षों से अधिक समय तक नहीं किया जा सका। अनुमोदन, डिजाइन को अंतिम रूप देने और पुनः निविदा में प्रक्रियागत देरी के कारण भवन के निर्माण में विलंब हुआ। डिजाइन, जांच, वैधानिक अनुमोदन आदि पर ₹9.81 करोड़ का व्यय किया गया, जो निष्फल रहा, साथ ही निर्माण के विलंब की अवधि (दिसंबर 2016-अक्टूबर 2024) के दौरान किराए पर लिए गए परिसर के लिए ₹29.66 करोड़ का किराया देना जारी रहा।

(पैरा 2.3)

उद्योग समूह

बीएचईएल द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का क्रियान्वयन

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए बीएचईएल के सौर व्यवसाय के कामकाज की लेखापरीक्षा से पता चला कि बीएचईएल द्वारा योगदान की गई औसत क्षमता वृद्धि केवल लगभग एक प्रतिशत थी। इसके अलावा, 85 मेगावाट सेल और 200 मेगावाट मॉड्यूल के लिए मौजूदा विनिर्माण सुविधाओं का उपयोग सीमित कच्चे माल की उपलब्धता के कारण न्यूनतम है और वे पुरानी प्रौद्योगिकी से भी ग्रस्त हैं। इसके अलावा, गलत लागत अनुमान और समय की अधिकता के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹1,145.30 करोड़ का नुकसान हुआ, जो कुल अनुबंध मूल्य का 41 प्रतिशत है। इसके अलावा, कंपनी ने 15 में से 14 परियोजनाओं में अनुमोदित अनुसूचियों का पालन नहीं किया और उस पर ₹119.61 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी अधिकांश संचालन एवं रखरखाव वर्षों में संविदात्मक शर्तों के अनुसार

न्यूनतम गारंटीकृत विद्युत उत्पादन उपलब्ध नहीं करा सकी, जिसके कारण उसे ₹49.04 करोड़ का जुर्माना देना पड़ा।

(पैरा 4.1)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ₹12.88 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 1.35 मिलियन टन चूना पत्थर की शिपमेंट के लिए एक जहाज मालिक कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया (जून 2017)। सेल ने अनुबंध के अनुसार शिपमेंट हॉलिडे और डिलीवरी एक्सटेंशन के विकल्पों का समय पर उपयोग नहीं किया, जिसके कारण उसे जुलाई 2018 के बाद शिपमेंट में अधिक माल ढुलाई के लिए ₹8.52 करोड़ का अतिरिक्त माल वहन करना पड़ा। निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावे का निपटान करने में सेल की असमर्थता के परिणामस्वरूप ब्याज और मध्यस्थता/कानूनी व्यय के रूप में ₹4.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 5.1)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ₹9.21 करोड़ का परिहार्य व्यय

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अपने कनवर्टर सेटों की लाइनिंग के लिए ताप के आधार पर रिफ्रैक्टरी की खरीद करता है और न्यूनतम गारंटीकृत ताप से अधिक ताप प्राप्त करने पर आपूर्तिकर्ताओं को बोनस का भुगतान करता है। कनवर्टर लाइनिंग के न्यूनतम गारंटीकृत हीट्स के उचित निर्धारण में कमी के परिणामस्वरूप अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 की अवधि के दौरान अंतर न्यूनतम गारंटीकृत हीट्स के लिए लगभग ₹9.21 करोड़ के बोनस के उच्च भुगतान के कारण परिहार्य व्यय हुआ।

(पैरा 5.2)

अवसंरचना समूह

पट्टा करार का निष्पादन न करने और बकाया राशि एकत्र करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई में कमी के परिणामस्वरूप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ₹11.40 करोड़ का नुकसान हुआ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने (20 दिसम्बर 1994) परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को अग्रिम वार्षिक पट्टा किराया के भुगतान पर 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर भूमि आवंटित की। प्राधिकरण ने पट्टेदार के साथ शर्तों के अनुसार कोई पट्टा समझौता नहीं किया। प्राधिकरण ने जुलाई 2002 में पहला बिल बनाया, हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया। प्राधिकरण ने पट्टा किराया की वसूली के लिए (अगस्त 2016) अनुनय शुरू किया और भूमि खाली करने का निर्देश दिया (दिसंबर 2017)। अंततः पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1 अगस्त 2022 को ₹11.40 करोड़ का बकाया पट्टा किराया चुकाए

बिना भूमि खाली कर दी गई। इस प्रकार, पट्टा समझौते का निष्पादन न करने तथा बकाया पट्टा किराया वसूलने के लिए समय पर कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹11.40 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 6.1)

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ड्रेजरों का संचालन और रखरखाव

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) द्वारा 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए ड्रेजरों के संचालन और रखरखाव के ऑडिट से पता चला कि नियोजन में खामियां बनी रहीं; ड्रेजरों/उपयुक्त क्षमता वाले ड्रेजरों की तैनाती में देरी/गैर-तैनाती; ड्रेजरों का निष्क्रिय रहना। इसके परिणामस्वरूप ₹87.62 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा, डीसीआईएल को गलत लागत और समय अनुमान के कारण ₹240.39 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, तथा अनुबंध की समय-सीमा और शर्तों का पालन न करने के कारण ग्राहकों द्वारा लगाए गए ₹9.51 करोड़ का जुर्माना और क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। इसके अलावा, अनुबंधों में अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹31.64 करोड़ का नुकसान हुआ। ड्राई डॉक मरम्मत की निविदा, मूल्यांकन और निष्पादन की प्रक्रिया में काफी समय लगा, जिसके परिणामस्वरूप ड्राई डॉक मरम्मत के पांच मामलों में ड्रेजरों के निष्क्रिय रहने, अतिरिक्त मोबिलाइजेशन और डी-मोबिलाइजेशन लागत आदि के कारण ₹45.54 करोड़ की राजस्व हानि हुई। इसके अलावा, डीसीआईएल ने परिणामी प्रदर्शन सुधार का आकलन किए बिना ड्रेजरों की ड्राई डॉकिंग पर ₹63.96 करोड़ का अपव्यय किया, इसके अलावा परिचालन पर ₹116.84 करोड़ की नकद हानि हुई।

(पैरा 7.1)

एनएचएआई में एकमुश्त निधि निवेश योजना का कार्यान्वयन

सुस्त पड़ी/ अटकी हुई बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर सड़क परियोजनाओं को (बीओटी)जल्दी से पूरा करने के लिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एकमुश्त निधि निवेश योजना को मंजूरी दी (ओटीएफआईएस))13 मई 2015) । इस योजना ने एनएचएआई को परियोजनाओं को अल्पकालीन ऋण के आधार पर धन उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया। एनएचएआई बोर्ड ने दिसंबर 2016 से अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान आठ परियोजनाओं में ₹1,730.65 करोड़ के धन के वितरण को मंजूरी दी। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के तहत परियोजनाओं की पात्रता निर्धारित करने के लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन तंत्र को विकसित नहीं किया गया था, योजना के मानदंडों के उल्लंघन में 1 नवंबर 2014 तक 50 प्रतिशत से कम भौतिक प्रगति वाली चार परियोजनाओं में ₹ 936.90 करोड़ रुपये का धन वितरित किया गया था, रियायत समझौते में निर्धारित की तुलना में कम ब्याज दर वसूलने के कारण ओटीएफआईएस के विलंबित पुनर्भुगतान पर ₹ 179.46 करोड़ का कम ब्याज वसूला गया, परियोजना में असंवितरित

ऋण पर विचार न करने के कारण पनवेल इंदापुर परियोजना में-₹139 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी दी गई। जयपुरबहरामपुर पर-गुड़गांव और कृष्णानगर-ियोजनाओं में समीक्षा समिति द्वारा साइट पर किए गए कार्य का मूल्यांकन किए बिना ₹ 246.63 करोड़ की धनराशि वितरित की गई, निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजना के पूरा होने में देरी- के कारण ₹ 740.63 करोड़ के टोल राजस्व से वंचित रहना पडा और रियायतग्राही से ₹ 2,613.81 करोड़ की वसूली लंबित रही।

इस प्रकार, ओटीएफआईएस के तहत धनराशि वितरित करने के बावजूद, कोई भी परियोजना पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकी, जिससे ओटीएफआईएस का उद्देश्य अर्थात मध्यम वित्त पोषण द्वारा सुस्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना विफल हो गया।

(पैरा 8.1)

एनएचएआई द्वारा ₹41.95 करोड़ के हर्जाने की कम वसूली

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर मौजूदा दो-लेन वाले बोधरे से धुले खंड को चार-लेन तक चौड़ा करने का प्रस्ताव रखा है। समझौते में कुछ 'पूर्व शर्तें' शामिल थीं जिन्हें पक्षों द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक था ताकि वे नियत तिथि घोषित कर सकें जिससे निर्माण अवधि शुरू होती है। समझौते में नियत तिथि तक विस्तार देने तथा विलंब के लिए क्षतिपूर्ति लगाने का प्रावधान था। एनएचएआई ने वित्तीय समापन प्राप्त करने में रियायतग्राही की विभिन्न चूकों के कारण समझौते को समाप्त कर दिया तथा ₹49.10 करोड़ की निष्पादन प्रतिभू बैंक गारंटी से ₹7.45 करोड़ क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि सम्पूर्ण निष्पादन प्रतिभूति (अनुबंध के खंड 4.5 के अनुसार) जब्त करने के स्थान पर केवल ₹7.45 करोड़ की वसूली के परिणामस्वरूप रियायतग्राही को ₹41.65 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ तथा एनएचएआई को समतुल्य हानि हुई।

(पैरा 8.2)

आपसी फौजदारी के कारण एनएचएआई ₹19.42 करोड़ का हर्जाना लगाने में असमर्थ

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अभियांत्रिकी खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड पर एनएच 160 के सावली विहार से अहमदनगर बाईपास सेक्शन तक मौजूदा सड़क को पक्की सड़क के साथ चार लेन में उन्नयन करने के कार्य के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किए हैं। ईपीसी संविदाकार निर्धारित तिथि तक 10 प्रतिशत प्रगति का पहला परियोजना मील का पत्थर हासिल करने में विफल रहा। संविदाकार के अनुरोध के आधार पर, एनएचएआई ने पहले और दूसरे प्रोजेक्ट माइलस्टोन को मिला दिया। चूंकि अस्थायी मिट्टी और पत्थर निकालने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीट) से आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति उपलब्ध नहीं थी, इसलिए संविदाकार के आपसी फौजदारी के अनुरोध को एनएचएआई द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ठेकेदार को अनुचित

लाभ पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप रियायत समझौते के अनुसार परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त न करने के कारण ₹19.42 करोड़ की क्षतिपूर्ति वसूली नहीं जा सकी।

(पैरा 8.3)

अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के कारण एनएचएआई पर ₹17.52 करोड़ का परिहार्य निवेश भार

गुजरात में एनएच-754 के सांचोर से संतालपुर खंड के ग्रीनफील्ड हिस्सों में निर्माण कार्य प्रगति पर था, तभी कुछ भूस्वामियों ने उनसे अधिग्रहित भूमि के पूरे क्षेत्र के लिए मुआवजा न मिलने की शिकायत की (2021)। सांचौर से संतालपुर खंड के पैकेज-4 में निर्माण कार्य अधिग्रहित भूमि पर नहीं, बल्कि ईपीसी समझौते में दिए गए निर्देशांकों पर चल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की पूरी लंबाई में 05 से 25 मीटर तक का अंतर हो गया। इससे एक तरफ अधिग्रहित भूमि बेकार पड़ी रही और दूसरी तरफ ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो अधिग्रहित ही नहीं थी। बाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पैकेज-4 में ₹16.41 करोड़ की लागत से 31.45 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि (जनवरी 2024) अधिग्रहित करनी पड़ी। संचोर से संतालपुर खंड के पैकेज-3 में भी यही समस्या थी, जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ₹1.11 करोड़ की लागत से 8.95 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करना पड़ा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईपीसी समझौते के अनुसार आवश्यक भूमि की सीमाओं से परे एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप ₹17.52 करोड़ का परिहार्य निवेश भार उत्पन्न हुआ।

(पैरा 8.4)